



**The Jharkhand State Cooperative Milk Producers' Federation Ltd.**  
**Farmers' Training Centre Campus, Sector-2, HEC, Dhurwa, Ranchi – 834004**  
(Managed by National Dairy Development Board)

### परिवहन हेतु निविदा आमंत्रण

झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड को झारखण्ड में विभिन्न स्थानों पर निम्नलिखित वस्तुएँ/सामान परिवहन हेतु सक्षम संवेदकों से अलग-अलग क्षमता के वाहनों के लिए एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट (ARC) पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है:

1. दूध एवं दुग्ध जन्य पदार्थ के लिए इंसुलेटेड एवं रेफ्रिजरेटेड वाहन।
2. प जुआहार, मिनरल मिक्सचर, औशधी, कैन, डेरी सयंत्र, क्रेट, इत्यादि के लिए साधारण वाहन।

निविदा प्रपत्र दिनांक— 04.10.2017 के अपराह्न 04:00 बजे तक झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड, राँची के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है और हमारे वेबसाईट [www.jmf.coop](http://www.jmf.coop) पर भी उपलब्ध है। मुहरबंद निविदा प्रपत्र दिनांक— 07.10.2017 के अपराह्न 04:00 बजे तक झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड, धुर्वा, राँची के कार्यालय में स्वयं/कूरियर/निबंधित डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये प्राप्त निविदाओं को पूर्ण आँक रूप से रद्द/स्वीकार/संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

Contact no-0651-2443062/55

प्रबंध निदेशक



**झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड**  
किसान प्रशिक्षण केन्द्र परिसर, HEC सेक्टर - 2, धुर्वा, राँची - 834004

**परिवहन हेतु निविदा पत्र**

1. आवेदक का नाम .....
- .....
2. आवेदक की स्थिति (व्यक्तिगत/फर्म/कम्पनी) .....
3. आवेदक का स्थायी पता .....
- .....
- .....
4. आवेदक का पत्राचार का पता .....
- .....
5. आवेदक का मोबाइल संख्या.....
- .....
6. आवेदक का पैन कार्ड संख्या .....
- .....
7. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या .....
- .....

पासपोर्ट साइज़ फोटो  
का स्पेस

**8. परिवहन दर फॉर्मेट**

a. साधारण वाहन के लिये:

गाड़ी का अधिकतम भार वहन क्षमता					
गाड़ी का प्रकार/model*					
निजी गाड़ी की संख्या					
आवश्यकता होने पर एक समय पर कितने गाड़ी की व्यवस्था की जा सकती है					
प्रस्तावित दर, प्रति किमी (Rate/km)*					

\*जैसे, Bolero Pick up/Tata pick up/Tata 407/ TATA 709/TATA1109 इत्यादि

b. इंसुलेटेड वाहन के लिये:

गाड़ी का अधिकतम भार वहन क्षमता	3 MT	4-4.5 MT	8-9 MT
--------------------------------	------	----------	--------

गाड़ी का प्रकार/model*			
निजी गाड़ी की संख्या			
आवश्यकता होने पर एक समय पर कितने गाड़ी की व्यवस्था की जा सकती है			
प्रस्तावित दर, प्रति किमी (Rate/km)*			

\* जैसे, Bolero Pick up/Tata pick up/Tata 407/ TATA 709/TATA1109 इत्यादि

c. रेफ्रीजेरेटेड वाहन के लिये:

गाड़ी का अधिकतम भार वहन क्षमता	3 MT	4-4.5 MT	8-9 MT
गाड़ी का प्रकार/model*			
निजी गाड़ी की संख्या			
आवश्यकता होने पर एक समय पर कितने गाड़ी की व्यवस्था की जा सकती है			
प्रस्तावित दर, प्रति किमी (Rate/km)*			

\* जैसे, Bolero Pick up/Tata pick up/Tata 407/ TATA 709/TATA1109 इत्यादि

**नोट: इंसुलैटेड एवं रेफ्रीजेरेटेड वर्गों का अंतर्गत प्रस्तावित किये जायेगा। वर्ष 2016 संपूर्ण नहीं होना चाहिए।**

दिनांक

निविदादाता का हस्ताक्षर  
(मुहर के साथ)

\* आवेदक का अन्य कोई भी शर्त अलग से लिखित में देना होगा

## परिवहन निविदा की मुख्य शर्तें

1. निविदादाता निविदा प्रपत्र की शर्तों को भली-भांति पढ़कर एवं समझकर भरेंगे। अगर निविदा संबंधी कोई जानकारी / स्पष्टता प्राप्त करनी है तो मुख्य कार्यालय के फ़ोन नो 7544003404 पर संपर्क किया जा सकता है।
2. निर्गत निविदा प्रपत्र में भरी गई निविदा ही स्वीकार की जायेगी। भरी गई निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता का मुहर के साथ हस्ताक्षर अनिवार्य है
3. निविदा के साथ अग्रधन के राशि 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट/चेक जो "झारखण्ड स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड" के नाम होगा तथा राँची में भुगतये होगा अग्रधन के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा में असफल निविदादाता का अग्रधन चेक के द्वारा वापस किया जायेगा।
4. भरे गये दर में परिवहन संबंधी सभी खर्च एवं सर्विस टैक्स शामिल होंगे। संवेदक द्वारा समर्पित विपत्रों में से नियमानुसार सर्विस टैक्स एवं एनकम टैक्स (TDS) के कटौती के उपरान्त ही भुगतान की जायेगी।
5. गाड़ी की माँग JMF द्वारा समय समय पर की जायेगी एवं 1-2 दिन पहले सूचना दे दी जायेगी।
6. वैसे सफल निविदादाता जिनका परिवहन दर न्यूनतम पाया जायेगा, सिर्फ उन्ही से दर संबंधी वार्ता की जायेगी।
7. सामान परिवहन के दौरान रस्ते में वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में निर्धारित गन्तव्य स्थानों तक परिवहन करता को अपने खर्च पर दुसरे वाहन से सामान लोड कर भेजने की व्यवस्था अविलम्ब करना होगा, ताकि पशुआहार, मिनरल मिक्सचर एवं अन्य सामग्री की बर्बादी न हो, एवं ससमय गन्तव्य स्थानों पर आपूर्ति हो पाये
8. सामान परिवहन के दौरान रस्ते में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खर्च परिवहन कर्ता की जिम्मेदारी होगी।
9. विशेष परिस्थिति में किसी दिन गाड़ी लोड /अनलोड नहीं होने की स्थिति में किसी प्रकार का हर्जाना का दावा मान्य नहीं होगा
10. ट्रक लोडिंग का कार्य पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक ही किया जायेगा ताकि अपराहन 5:30 बजे तक चालान अदि निर्गत किया जा सके।
11. झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सामग्री ले जाकर निर्धारित गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाना तथा वहा से पावती कराकर चालान /रिसीट JMF ऑफिस में जमा करना होगा।

12. संवेदक जिन्हें कार्य आवंटित होगा उनके द्वारा भेजी गई गाड़ी के चालक, खलासी या किसी अन्य कर्मचारी कारखाना/कार्यालय को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जायेगी तो उसकी जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा उसकी भरपाई करनी होगा अथवा उनके परिवहन बिल से कटौती की जायेगी।
13. सामान परिवहन के समय, सामग्री भीगे रूप में पाये जाने, गिनती में कम पाये जाने एवं किसी अन्य प्रकार के क्षति के लिये परिवहन संवेदक जिम्मेवार होंगे। उस स्थिति में उनके परिवहन बिल से सममूल्य राशि को कटौती की जायेगी।
14. यदि परिवहन संवेदक द्वारा गाड़ी माँग की पूर्ति पूर्णतः या अंशतः लगातार 3 दिनों तक नहीं की जाती है, JMF अन्य श्रोत से गाड़ी की व्यवस्था कर सामग्री आपूर्ति करने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र होगा। उक्त मद में खर्च हुए अतिरिक्त परिवहन राशि को संवेदक के परिवहन विपत्र से समायोजित/कटौती की जाएगी। किसी प्रकार आपदा, लोकसभा एवं, विधान सभा चुनाव की स्थिति में ईन शर्तों में ढील दी सकती है, जो पूर्णतः प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में होगा।
15. यदि कुल गंतव्यों में से एक या अधिक निविदादाता सफल होते हैं तो बैसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा की वह बाँट कर एक या एक से अधिक निविदादाताओं को परिवहन कार्य दे सकते हैं।
16. सफल निविदादाता जिन्हें कार्यदिश निर्गत होगा, सात दिनों के अंतर भुगतान हेतु सारे संबंधित प्रपत्रों को अपने परिवहन बिल के साथ समर्पित करना होगा, सारे विपत्र के जांचोपरान्त विपत्र का भुगतान चेक/बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
17. सफल निविदादाता को झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के साथ Rs. 100 स्टाम्प पेपर अनुबंध में करना होगा एवं सिक्योरिटी राशि जमा करना होगा, जो वाहन के क्षमता के आधार पर तय किया जायेगा।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र राँची होगा।
19. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को किसी भी स्टेज में रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को सुरक्षित रहेगा।

निविदा की सभी शर्त स्वीकार्य एवं मान्य है।

दिनांक:

निविदादाता का हस्ताक्षर  
(मुहर के साथ)